न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./26/2022/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. रणछाराम पुत्र खेताराम 2. किशनाराम पुत्र खेताराम 3. देदाराम पुत्र खेताराम 4. मानाराम पुत्र खेताराम 5. विशनाराम पुत्र खेताराम 6. लिखमाराम पुत्र खेताराम 7. श्रीमती चनणी देवी पत्नी खेताराम, जाति सुनार निवासी जाखड़ों की ढाणी, सावां तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. पुखराज पुत्र श्री कांसीराम, जाति बाह्मण, निवासी जांखड़ों की ढाणी, सावां तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 2. श्रीमान तहसीलदार, सेड़वा। 3. श्रीमान शाखा प्रबंधक, एसबीआई, शाखा सेड़वा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 250/2017 बउनवान पुखराज बनाम रणछाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री शैतानसिंह राठौड़ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–08.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा जाखड़ों की ढाणी, सावां, तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 995/59 रकबा 30 बीघा आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी के खेत के खसरा संख्या 991/59 रकबा 60 बीघा जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा जाखड़ों की ढाणी, सावां, तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 995/59 रकबा 30 बीघा आयी हुई है। जिरागें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण/अपीलांट के खातेदारी का खेत के खसरा संख्या 991/59 रकबा 60 बीघा जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुने ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब कर आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील संख्या 92/2015 प्रस्तुत की गई। जिस पर श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा उभपक्षकारान को सुनने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु दिनांक 07.07.2017 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाकर वैकल्पिक रास्ते के अनुसार निर्णय पारित करने हेतु लिखा था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर उभयपक्ष को नोटिस जारी किये परन्तु अपीलकर्ता को नोटिसों की सम्यक तामील हुए बिना ही अपीलांट के विरूद्ध पुनः एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब कर कैम्प कोर्ट सावां में पूर्व में पारित निर्णय का अनुसरण करते हुए अपीलकर्ता के खेत खसरा संख्या 991/59 में रास्ता निकालने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः श्रीमानजी के हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील संख्या 38/2018 को उभयपक्ष की सनुवाई के पश्चात् दिनांक 19.02.2018 को अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वैकल्पिक रास्ते या अविभाजित जोत अनुसार प्रस्ताव तलब करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली को पुनः दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट संख्या 1 रणछाराम द्वारा दिनांक 23.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं अपने खेत खसरा संख्या 994/59 में से रास्ता देना चाहता हूं। मेरे उक्त खेत के सेढे–सेंढे से नया प्रस्तावित रास्ता बनाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र पर गौर किये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पूर्ववर्ती प्रश्नगत दोनों निर्णयों अनुसार आदेश पारित कर दिया। जिस पर अपीलांट द्वारा तीसरी बार श्रीमानजी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील संख्या 09/2021 पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 03.08.2021 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि खसरा संख्या 994/59 व 997/59 के सेढे–सेढे रास्ता कायम करते हुए प्रकरण का तीन माह में निस्तारण करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को दर्ज करते हुए पुनः एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि की घोर अवहेलना का द्योतक है। क्योंकि श्रीमानजी के न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2021 के अनुसार सभी सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित करते हुए सेढे–सेढे रास्ता पारित करने का आदेश प्रदान किया था। श्रीमानजी के उक्त निर्णय का विवेचन व विश्लेषण किये बिना ही केवल अपनी हठधर्मिता के आधार पर तीनों बार ही पूर्ववर्ती निर्णय पर अडिग रहना न्यायिक मंशा को प्रदर्शित नहीं करता है। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के निर्देश को बार–बार अनदेखा करते हुए एकतरफा आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है।

वकील अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट में कथित रूप से खसरा संख्या 997/59 में प्रस्तावित रास्ते में निर्माण बताकर उस पर रास्ता कायम नहीं किया जा रहा है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एक अन्य प्रकरण संख्या 14/2021 बउनवान रामूदेवी बनाम चनणी देवी में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2021 द्वारा उक्त खसरा संख्या 997/59 में किसी प्रकार का कोई निर्माण यथा ''मकान, घर, कीमती पेड़, टांका, कुआं नहीं पाया गया'' की रिपोर्ट प्राप्त संलग्न है। जिससे अपीलाधीन निर्णय में देदाराम की ढाणी आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाकर लगातार चार बार न्यायिक सिद्धान्तों से परे जाकर आदेश पारित किये जा रहे हैं। प्रश्नगत उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2021 व हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट एक ही खसरे की एक ही स्थान से भिन्न–भिन्न मौका रिपोर्ट प्राप्त होना न्यायिक सिद्धान्तों एवं अधीनस्थ न्यायालय की द्वन्द्व मंशा को इंगित करता है। जिससे यह स्पष्ट है कि हस्तगत मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण के दबाव में आकर एकतरफा तैयार की गई है। जो विधि के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सिंद्धान्तों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए संलग्न संशोधित परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बरंग लाल को रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जावे।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुएं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्टस/प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि संगत है। तीनों बार तलब मौका रिपोर्ट अनुसार ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक व्याख्या करते हुए निर्णय पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्तानुसार रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रश्नगत एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिया गया है। हस्तगत प्रकरण में खसरा संख्या 997/59 में प्रस्तावित रास्ते में निर्माण बताकर उस पर रास्ता कायम नहीं किया जा रहा है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एक अन्य प्रकरण संख्या 14/2021 बउनवान रामूदेवी बनाम चनणी देवी में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2021 द्वारा उक्त खसरा संख्या 997/59 में किसी प्रकार का कोई निर्माण यथा "मकान, घर, कीमती पेड़, टांका, कुआं नहीं पाया गया" की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त मौका रिपोर्ट एक ही खसरे की एक ही स्थान की भिन्न–भिन्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त होना यानी कि तत्कालीन संबंधित राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका की ओर इंगित करता है। अज अदालत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगातार तीनों निर्णयों में उक्त विधिक तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किये जा रहे हैं जो अत्यंत चिंताजनक एवं अधीनस्थ अधिकारी की सत्यता एवं कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला प्रतीत होता है। जिनके अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक प्रतीत नहीं होती है। हाजा न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रदत्त निर्देशों के बावजूद अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 250/2017 बउनवान पुखराज बनाम रणछाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, धनाऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपील के साथ संलग्न संशोधित परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल अनुसार खसरा संख्या 995/59,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

997/59 व खसरा संख्या 994/59 के सेढे–सेढे 03 गट्टा चौड़ाई का रास्ता कायम करते हुए प्रार्थी द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूर्ति राशि का समायोजन करते हुए बाद गणना शेष क्षतिपूर्ति की अन्तर राशि का संबंधित पक्षकार को भुगतान करने की कार्यवाही संपांदित करें। उक्त संशोधित परिशिष्ट "अ" इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा तथा इसी अनुरूप राजस्थान सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करते हुए तरमीम अंकित करें। तहसीलदार, धनाऊ उपर्युक्त आदेश की पालना कर न्यायालय को पालना रिपोर्ट पेश करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

3/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संशोधित परिशिष्ट "अ"

नक्शा किश्तवार

मौजा – जाखड़ों की ढाणी

पैमाना – 9" = 40 गज़ का

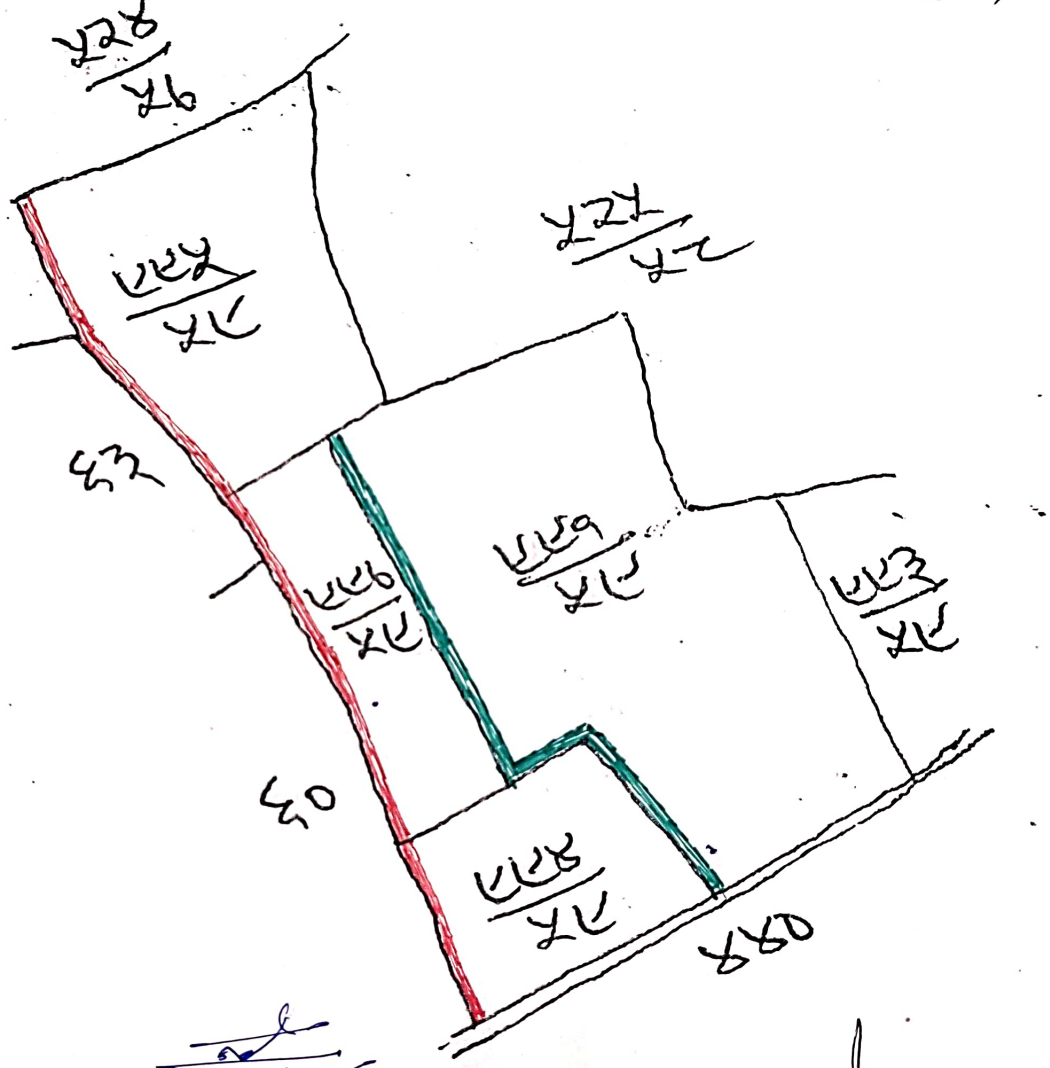

8/10/2015

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Adv
(अधिवक्ता)